न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3 / 18 / 2023

वउनवान

1. हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद जाति माली उम्र करीब 67 साल नि0 भैसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

--प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः--

श्री अमृतलाल सैनी-- अधिवक्ता प्रार्थी

पैरोकार सरकार -- अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 08.02.2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता सं. 389, 362, 155, 157, 79, 419 वाके ग्राम भैसड़ावत तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के अन्य खातेदार है। जिनसे प्रार्थी का विवाद नही है। मात्र हाल जमाबंदी में प्रार्थी के नाम को हरी राम सैनी की जगह हरि सिंह दर्ज होने से उसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इसलिए सहखातेदारों को अनावश्यक रूप से पक्षकार नही बनाया गया है। और प्रार्थी के नाम दर्ज हिस्से को आगे चलकर इस प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम हरी राम सैनी है तथा प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेंज जैसे जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, बच्चों के राजकीय दस्तावेज सभी में प्रार्थी का नाम हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद दर्ज है। लेकिन आराजी मुतनाजा कें हाल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से हरी राम सैनी की जगह हरि सिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि हरि सिंह पुत्र हुकमचंद नाम का कोई व्यक्ति गांव में नही हैं। और ना ही प्रार्थी का नाम हरि सिंह है। उक्त गलत नाम का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है, इसलिए

08/2/2024
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

न्यायहित में प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड में हरि सिंह की स्थान पर हरीराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हाल जमाबंदी खाता सं. 389 में वर्णित आ.ख.नं. 941, 942 खाता सं. 362 में वर्णित ख.नं. 369, 370, 371, 372, 374, 375 खाता सं. 358 में वर्णित ख.नं. 497, खाता सं. 155 में वर्णित ख.नं. 445, खाता सं. 157 में वर्णित आ.ख.नं. 422, 427, 435, 436, 437, 447, 456, खाता सं. 79 में वर्णित ख. नं. 373, 414, 415, 442 एवं खाता सं. 419 में वर्णित आराजी ख.नं. 395, 396, 397, 398, 399 वाके ग्राम भैंसड़ावत तह0 गोविन्दगढ़ में प्रार्थी का नाम हरि सिंह पुत्र हुकमचंद के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचंद दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवदेन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह पुत्र हुकमचंद दर्ज है। हरि सिंह व हरी राम सैनी एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हरिसिंह पुत्र हुकमचंद के स्थान पर हरी राम पुत्र हुकमचंद शुद्ध करने के आदेश जारी करना यह न्यायालय उचित मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरि सिंह पुत्र हुकमचन्द के स्थान पर हरी राम सैनी पुत्र हुकमचन्द दर्ज कर दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे।

08/2/2024

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/2/2024

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)